

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 1887

29 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

1887. श्री एस० जगतरक्षकनः

श्री राजीव प्रताप रूडीः

श्री

श्री ष

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि डगू महामारी देश म रोगियों को मृत्यु सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक वार्षिक मामला बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मौजूदा सत्र के दौरान देश म डगू के सूचित मामलों और मौतों को ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने डगू के मामलों को रोकथाम के लिए मानक उपचार प्रक्रिया का पालन करने के लिए कोई दिशानिर्देश/सलाह जारी को है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह;

(घ) सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों को प्रदान को गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार देश म डगू और अन्य गैर-संचारी और संचारी रोगों को घटनाओं को कम करने के लिए सावजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य को काय-योजना तैयार कर रही है?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्वे)

(क) और (ख): जी, हां। वतमान वष (अक्टूबर तक) म ओडिशा सहित देश म रिपोर्ट किए गए डगू के मामलों और उनसे हुई मौतों को राज्य/ संघ राज्यवार संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-1 म दिया गया है।

(ग): जी हां, भारत सरकार मौतों को रोकने के लिए डगू मामला प्रबंधन के संबंध म राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उन्ह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है। इन दिशा

निर्देशों को राष्ट्रीय वैक्टीर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) को वेबसाइट www.nvbdc.gov.in पर भी अपलोड किया गया है।

वर्ष 2019 में (आज तक की तारीख तक), भारत सरकार ने डंगू को रोकथाम, नियंत्रण तथा मामला प्रबंधन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को चौदह (14) एडवाइजरी जारी की है।

(घ): डंगू सहित वैक्टीर जनित रोगों को रोकथाम और नियंत्रण हेतु एकीकृत तरीके से राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2019 के दौरान आर्बाटित की गई वित्तीय सहायता का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-II पर उपलब्ध है।

(ङ): जी, हां। सरकार देश में डंगू सहित संचारी और गैर संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्य योजनाओं को रूपरेखा तैयार कर रही है।

2019 के दौरान (अक्टूबर तक) देश में रिपोर्ट किए गए डगूके मामलों और उनसे हुई मौतों के राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार मामले

क्र.	राज्य / संघ क्षेत्र	मामलों की संख्या	मौतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3758	0
2	अरुणाचल प्रदेश	46	0
3	असम	147	0
4	बिहार	4553	0
5	छत्तीसगढ़	462	0
6	गोवा	688	0
7	गुजरात	8410	12
8	हरियाणा	368	0
9	हिमाचल प्रदेश	276	2
10	जम्मू और कश्मीर	331	0
11	झारखंड	716	0
12	कर्नाटक	14139	13
13	केरल	3486	16
14	मध्य प्रदेश	2070	0
15	मेघालय	44	0
16	महाराष्ट्र	9899	12
17	मणिपुर	305	0
18	मिजोरम	42	0
19	नगालैंड	6	0
20	ओडिशा	2296	0
21	पंजाब	2984	0
22	राजस्थान	3642	0
23	सिक्किम	207	0
24	तमिलनाडु	4779	4
25	त्रिपुरा	90	0
26	तेलंगाना	8917	6
27	उत्तर प्रदेश	4801	5
28	उत्तराखंड	9574	8
29	पश्चिम बंगाल	संसूचित नहीं	संसूचित नहीं
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94	0
31	चंडीगढ़	136	0
32	दिल्ली	2289	0
33	दादरा और नागर हवेली	595	1
34	दमन और दीव	128	2
35	पुदुच्चेरी	1179	1
		91457	82

-2019-20

(रु)

क्र.	ज / ज क्षेत्र		रु	
1	आंध्र प्रदेश	100.00	4778.86	4878.86
2	अरुणाचल प्रदेश	809.04	622.76	1431.80
3	असम	982.34	2504.93	3487.27
4	बिहार	100.00	227.69	327.69
5	छत्तीसगढ़	141.92	509.61	651.53
6	गोवा	163.77	140.62	304.39
7	गुजरात	239.48	52.93	292.41
8	हरियाणा	25.00	770.14	795.14
9	हिमाचल प्रदेश	15.00	0.00	15.00
10	जम्मू और कश्मीर	20.00	3.00	23.00
11	झारखंड	123.12	2798.12	2921.24
12	कनाटक	100.00	809.23	909.23
13	केरल	124.03	35.68	159.71
14	मध्य प्रदेश	467.50	14266.78	14734.28
15	महाराष्ट्र	100.00	122.92	222.92
16	मणिपुर	225.15	74.20	299.35
17	मेघालय	216.92	648.18	865.10
18	मिजोरम	255.77	1257.19	1512.96
19	नगालड	181.30	177.05	358.35
20	ओडिशा	100.00	778.75	878.75
21	पंजाब	50.00	250.56	300.56
22	राजस्थान	372.54	3974.14	4346.68
23	सिक्किम	25.85	0.00	25.85
24	तमिलनाडु	114.38	875.78	990.16
25	तेलंगाना	94.18	534.35	628.53
26	त्रिपुरा	204.59	1285.73	1490.32
27	उत्तर प्रदेश	100.00	1455.31	1555.31
28	उत्तराखंड	50.00	48.28	98.28
29	पश्चिम बंगाल	50.00	45.33	95.33
30	दिल्ली	142.50	0.00	142.50
31	पुदुच्चेरी	253.50	4.00	257.50
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	233.00	42.38	275.38
33	चंडीगढ़	65.00	6.00	71.00
34	दादरा और नागर हवेली	100.00	1.40	101.40
35	दमन और दीव	59.60	10.60	70.20
36	लक्षद्वीप	3.00	0.02	3.02
	कुल	6408.48	39112.52	45521.00
